

60

कार्यालय सदस्य राजस्थान राज्य प्राधिकार


प्रस्ताव संख्या 4/2007

दिनांक : 10/4/07

विषय:—राजस्थान मोटरयान नियम 1990 के नियम 5.10 के प्रावधानों के अन्तर्गत परिवहन वाहनों के लिये नये अनुज्ञा पत्रों की स्वीकृति/नवीनीकरण के लिये मॉडल की शर्त निर्धारण करने बाबत।

जनहित को मध्य नजर रखते हुए राज्य परिवहन प्राधिकार राजस्थान मोटरयान नियम, 1990 के नियम 5.10 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगरीय/नगर विकास न्यास सीमा क्षेत्र के संविदा यात्री वाहनों (मोटर कैब एवं मैक्सी कैब को छोड़कर) के अनुज्ञा पत्र स्वीकृति/नवीनीकरण के लिये मॉडल की शर्त निम्नानुसार करती है :-

नये अनुज्ञा पत्र स्वीकृत करते समय वर्ष जिनसे पुराने मॉडल की वाहन न हो	नवीनीकरण करते समय वर्ष जिनसे पुराने मॉडल की वाहन न हो
15 वर्ष	20 वर्ष


सदस्य 10/4
राज्य परिवहन प्राधिकार

क्रमांक : प 9 (30)/परि/आरटीए/88/98925

जयपुर, दिनांक :

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. समस्त सचिव, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार।
2. समस्त अतिरिक्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी।
3. समस्त जिला परिवहन अधिकारी।
4. समस्त अधिकारीगण (मुख्यालय)

20
अपर सचिव
राज्य परिवहन प्राधिकार